भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2359

उत्तर देने की तारीख 03.08.2023

उद्यम सखी पोर्टल

2359. श्री जुएल ओरामः

डॉ. मनोज राजोरियाः

श्रीमती रंजीता कोलीः

श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ'

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम सखी पोर्टल आरंभ किया है/शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो पोर्टल की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या-क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त पोर्टल की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने कार्यस्थलों और व्यावसायिक प्लेटफॉर्मों पर उत्पीड़न, शोषण के बारे में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त पोर्टल के अंतर्गत राजस्थान और बिहार सहित राज्य-वार कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(च) उक्त पोर्टल के अंतर्गत सामाजिक उद्यमों को किस प्रकार प्रोत्साहन/बढ़ावा दिया गया है; और

(छ) क्या उक्त पोर्टल सामाजिक विषमता को समाप्त करने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग): मौजूदा एवं भावी महिला उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की वित्तीय स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए मार्च, 2018 में उद्यम सखी पोर्टल (https://udyam-sakhi.com/) की शुरूआत की गई थी। यह पोर्टल महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने, बनाने और विकसित करने तथा इस प्रकार उन्हें आत्म-निर्भर बनने में सहायता करता है। दिनांक 31.07.2023 की स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर कुल 4304 महिलाएं पंजीकृत हैं।

(घ) सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन-उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने तथा इससे संबंधित शिकायतों की रोकथाम एवं निवारण के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में सभी महिलाओं को शामिल किया गया है, चाहे उनकी आयु, रोजगार की स्थिति अथवा कार्य की प्रकृति कुछ भी हो, चाहे वे सार्वजनिक या निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हों। सरकार सभी कार्यस्थलों के लिए आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों की स्थापना सहित अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु समय-समय पर केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी करती है।

(ङ) दिनांक 31.07.2023 की स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर कुल 4304 महिलाएं पंजीकृत हैं। उद्यम सखी पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं की संख्या का राज्य/संघ-राज्य-वार आंकड़ा अनुबंध में दिया गया है।

(च) एवं (छ): उद्यम सखी पोर्टल महिला उद्यमियों को सरकार की स्कीमों, नीतियों एवं कार्यकलापों के बारे में सूचना का प्रसार करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे महिला सशक्तिकरण में मदद मिलती है।

*****

अनुबंध

उद्यम सखी पोर्टल पर लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (31.7.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	427
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	22
4	**बिहार**	**1023**
5	छत्तीसगढ	51
6	गोवा	2
7	गुजरात	77
8	हरियाणा	51
9	हिमाचल प्रदेश	6
10	झारखंड	34
11	कर्नाटक	125
12	केरल	41
13	मध्य प्रदेश	81
14	महाराष्ट्र	571
15	मणिपुर	0
16	मेघालय	0
17	मिजोरम	2
18	नागालैंड	40
19	ओडिशा	17
20	पंजाब	54
21	राजस्थान	**227**
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	372
24	तेलंगाना	58
25	त्रिपुरा	1
26	उत्तर प्रदेश	380
27	उत्तराखंड	26
28	पश्चिम बंगाल	72
29	जम्मू एवं कश्मीर	15
30	दिल्ली	529
कुल		**4304**